

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: ३५२ / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2021

दिनांक: 29.01.2021

मात्रा जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन की सीमा/परिधि निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उपरीशासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी0एक्स-3 दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संकिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियाँ अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
- (b) कन्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेंस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकांन, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा संभव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही ८० प्रतिशत सम्पर्क चिह्नित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्तें पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवशकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आई०एल०आई०/एस०ए०आर०आई० के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर व्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (i) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2021 दिनांक 29.01.2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मारक न लगाने व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"



महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 28 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 09—मौ0 दुर्गापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आदर्श नगर, निकट रेलवे स्टेशन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामविहार कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गोकुल धाम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 प्रेम नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिवकलौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 कोठियात राजे बाबू रोड, लक्ष्मी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 19 हॉटस्पाट—एन0ए0पी0एस0 टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालौनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, पट्टी हरनाम सिंह, वि0ख0 व तहसील स्थाना, ग्राम इलाना, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील स्थाना, ग्राम रंगपुर वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम चॉदौक, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम मौसमगढ़, वि0ख0 तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नसीराबाद पूठी वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बलीपुर वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्थाना, ग्राम नगला शेखू, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, औरंगाबाद, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भौंरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0 गंज सादात, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम तलवार, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम बगसरा वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम ककरई, वि0ख0 जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम कलौली, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम मूडाखेड़ा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 29.01.2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या—6198 है, 402 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में हैं। जनपद में 93 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त


अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।


स्थानीय
नंक-एल.आई.यू./सी-34/2021

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक-जनवरी 29, 2021

सेवा में,
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेप्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

प्रभारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर